न्यायालय सिविल जज जू0डि0/एफ0टी0सी0 (Crime Against Women), मुरादाबाद

10.08.2022

अभियुक्ता गीता देवी की ओर से मु0अ0सं0–331/2016 अन्तर्गत धारा–498ए,323,504,506 भा0द0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना महिला के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्ता द्वारा आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया।

अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थिनी को उपरोक्त वाद में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थिनी द्वारा वादिनी से ना तो कोई मारपीट नहीं की गयी है, ना ही कभी दहेज की मांग की गयी है। अतः प्रार्थी को जमानत पर छोड़ा जाये।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि अपराध अजमानतीय व गंभीर प्रकृति का है।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा से दहेज की मांग करने तथा मांग पूरी न होने पर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, मारपीट करने व गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने का अपराध किया है। मामला पारिवारिक है तथा अभियुक्ता वादिनी मुकदमा की सास है। मामले में आरोप पत्र प्राप्त है। अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास आ चुका है। अभियुक्ता पूर्व से अंतरिम जमानत पर है। अभियुक्ता द्वारा जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। गुण–दोष पर टिप्पणी किए वगैर कोई भी ऐसा पर्याप्त कारण प्रतीत नहीं होता, जिस आधार पर अभियुक्ता को न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध किया जाए। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्ता को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्ता गीता देवी द्वारा 30,000/– रूपये का बंध पत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर नियमित जमानत प्रदान की जाती है।

(वर्तिका शैलत)
सिविल जज जू0डि0/एफ0टी0सी0
(Crime Against Women),
मुरादाबाद।
जे0ओ0कोड–यू0पी0 3733